न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन, बॉसगॉव–गोरखपुर।

मूलवाद संख्या1185/2009

गंगाधर पाण्डेय––––––बनाम––––––––रामजीत यादव वगैरह

दिनांक 13.01.2023ः–

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभयपक्ष विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 42क–2 नियत है। प्रार्थना–पत्र 42क–2 प्रस्तावित वारिसान वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश–22 नियम–03 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी गंगाधर पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 24.06.2022 को हो जाने के कारण उनवान वाद–पत्र में उनके नाम के आगे शब्द 'मृतक' दर्ज कर 1/1– श्री भाष्कर पाण्डेय उम्र–68 वर्ष, 1/2– श्री प्रभाकर पाण्डेय उम्र–62 वर्ष, 1/3– धनन्जय पाण्डेय उम्र–55 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय गंगाधर पाण्डेय, साकिनान– किशुनपुर उर्फ बगही, तप्पा–महसीन, परगना–उनवल, तहसील–बॉसगॉव, जिला–गोरखपुर दर्ज किया जाए। अर्जीदावे में मालियती पैरा के बाद तथा दादरसी के पूर्व एक मजीद दफा–15 जोड़े जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथ–पत्र 43ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र पर सीन किया गया है।

सुना, पत्रावली अवलोकित। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही कोई नया केस सेटअप हो रहा है। प्रस्तावित वारिसान जरिए वकालतन हाजिर अदालत हैं। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद की बहुलता से बचने हेतु प्रार्थना–पत्र वरासत कागज संख्या 42क–2 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 42क–2 स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पत्रावली दिनांक 28.03.2023 को पेश हो।

सिविल जज, जू0डि0, बॉसगॉव
गोरखपुर।